

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क्र-4) विभाग

क्रमांक: प. 1(2)कार्मिक / क-4/08

जयपुर, दिनांक

5 APR 2012

— अधिसूचना —:

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) की धारा 68 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए "न्याय निर्णयन अधिकारी" (Adjudicating Officer) तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(*M. A. P.*)
मुक्तानन्द अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
11. अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रति के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर प्रति भिजवाने का श्रम करें।
12. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2 एवं 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली।

(*M. A. P.*)
शासन उप सचिव